छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

--:: आदेश ::--

नया रायपुर, दिनांक 17/12/2015

क्रमांक एफ 4–11/2015/18 (9) :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.06.2015 द्वारा नगर पालिक निगम, रायगढ़ में प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, को राज्य शासन एतद् द्वारा निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिला रायगढ़ के लिए प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की निम्नानुसार अधिकतम संख्या निर्धारित करता है:–

क्र.	शाखा का नाम	पद श्रेणी	प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल संख्या
1	लोक निर्माण	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
		लैब सहायक	2
		सुपरवाईजर (समयपाल)	7
2	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	श्रमिक (सफाई)	204
		रिक्शा चालक	96
		सफाई दरोगा	20
3	जल कार्य	पंप अटेंडेंट	55
		हैण्डपंप मैकेनिक	3
		इलेक्ट्रिशियन	3
		वेल्डर	2
		श्रमिक	16
4	विद्युत/यांत्रिकी	इलेक्ट्रिशियन	13
		श्रमिक	14
5	उद्यानिकी	माली	5
		श्रमिक	18
6	सामान्य प्रशासन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
7	वाहन विभाग	फायर चालक	12
		फायरमेन	12
		ऑटो चालक	12
		ट्रेक्टर चालक	21
		डम्पर चालक	5
		जेसीबी चालक	6
		क्लीनर	10
		वेल्डर	2
		पंचर मिस्त्री	2
		वैक्यूम ऑपरेटर	2
		चालक (बोलेरो, वेन आदि)	7
8	शिक्षा विभाग	शिक्षक	10
9	परिसंपत्तियों का रखरखाव	चौकीदार	12
		चौकीदार (मुक्तिधाम)	4
	कुल		581

....2....

61
03/02/2016

शर्तें :–

1 उपरोक्त तालिका अनुसार कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल कर्मचारी मात्र प्लेसमेंट पर विहित प्रकियानुसार प्रतिस्पर्धा से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी से ही कार्य पर रखे जावेंगे। इसके एवज में, नियमित/संविदा या अन्य विधि से कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी।

2 निकाय में, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु मानव बल की स्वीकृति के संबंध में संचालनालय के आदेश क्र. 462 दि. 11.05.2012 के अनुसार ही मानव बल (नियमित एवं प्लेसमेंट) रखे जावेंगे।

3 राज्य शासन द्वारा निकाय की जनसंख्या, सीमा, कर्तव्यों, परिसंपत्तियों की संख्या एवं अन्य आनुषांगिक सुसंगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, समय–समय पर समीक्षा कर प्लेसमेंट पर कुशल, अर्द्धकुशल अकुशल कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकतम सीमा में यथा कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

4 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।

5 बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में मात्र आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ईपीएफ, ईएससीआई आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आरटीजीएस की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

6 प्लेसमेंट कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

7 प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

8 निकाय की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना में, भविष्य में रिक्त पद पर पूर्ति होने के समय, प्लेसमेंट के समान/समकक्ष कर्मचारियों की संख्या में स्वमेव, समानुपातिक कटौती हो जावेगी। उदाहरण स्वरूप यदि निकाय में सहायक ग्रेड–3 के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाती है तो प्लेसमेंट में लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर की निर्धारित संख्या में स्वमेव 01 कर्मचारी की कमी हो जावेगी।

9 यदि निकाय में, न्यायालय अथवा राज्य शासन के पूर्व आदेशों के कारण दैनिक वृत्ति पर कर्मचारी कार्यरत है, जो कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्यरत नहीं है, उनके प्रकरणों की स्थिति (Status) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी, किन्तु मात्र उनकी संख्या की गणना प्लेसमेंट की अधिकतम संख्या के अंतर्गत की जावेगी।

10 आपात स्थिति/आकस्मिकता/प्राकृतिक संकट के दौरान यथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 तथा छ.ग. नगर पालिका प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998, तथा समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

......3.......

11. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लागू होने की तिथि से निर्धारित संख्या से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी निकाय में रखे जाने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अतिरिक्त व्यय की कटौती उनके वेतन से करते हुए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

जावक क्रमांक 6339
Director/2014
दिनांक 23 DEC 2015

(बी.एल.सोनी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. एफ 4–11/2015/18 (9) नया रायपुर, दिनॉक 17/12/2015

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ0ग0, नया रायपुर,
4. कलेक्टर, जिला–रायगढ़,
5. महापौर/आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग
7. जिला प्रभारी ....
8. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/ जगदलपरु/दुर्ग।
9. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
10. रिकार्ड फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Adl. Dir (A/F)/JD/DD(A)/DD(F)/CE/SE(TC)/SE(B)/DD
Adl. CEO/SE/DCEO(M)/DCEO(E)/OSD(P)/Astt. Dir.(SUDA)
21 DEC 2015
Shri. Data Centre
Director, Urban Administration
CEO SUDA